अध्याय–3
खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण

अध्याय–3

खनन प्राप्तियों का मूल्यांकन एवं संग्रहण

खनन पट्टे के रूप में चूना–पत्थर को छोड़कर किसी भी खनिज रियायत की बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी–सह–निविदा के आधार पर केवल ई–बिडिंग के माध्यम से और राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुसार की जानी थी। खान और भूविज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना के अनुसार चूना–पत्थर का पट्टा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निष्पादित किया जाता है। जहाँ नियमों के अधीन खनिज रियायत दी जाती है, औपचारिक पट्टा विलेख पट्टा स्वीकृत करने के आदेश के 180 दिनों के अन्तर समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निष्पादित किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसी खनिज रियायत दी गई है, उपरोक्त अवधि के अन्दर निष्पादन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो पट्टा स्वीकृत करने का आदेश रद्द कर दिया गया माना जाएगा और उस स्थिति में, आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि जब्त होगी। पत्थर के पट्टे का बन्दोबस्त पाँच साल के लिए होगा और राशि पाँच समान किश्तों में वसूल की जाएगी। किश्त की राशि 31 जनवरी से पहले अग्रिम रूप में वसूल की जाएगी। बालू खनन नीति के अनुसार बालू घाटों की बन्दोबस्त राशि आगे लगातार वर्षों के लिए पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत बढाकर की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के लिए बन्दोबस्त की राशि निम्न प्रकार से वसूल की जाएगी :–

तालिका–3

क्र. सं.	किश्त	भुगतान की देय तिथि
1.	पहली किश्त (50 प्रतिशत)	पहले वर्ष के लिए कार्य आदेश जारी करने से पहले और तब 15 दिसंबर के बाद
2.	दूसरी किश्त (25 प्रतिशत)	15 अप्रैल तक
3.	तीसरी किश्त (25 प्रतिशत)	15 सितम्बर तक

नियमावली बकाया किराए, रॉयल्टी और शुल्क पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाने का प्रावधान करती है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने 22 जुलाई 2014 को पाँच साल (2015–19) की अवधि के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए निविदा–सह–नीलामी के आधार पर योग्य उच्चतम बोलीदाताओं के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020 से 2024 की अवधि के लिए सभी जिलों के बालू घाटों की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2019) और सितंबर 2019 से पहले प्रक्रिया पूरी की जानी थी। लेकिन, अपूर्ण जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के कारण पट्टों को अमल में नहीं लाया जा सका। चूंकि नई निविदा अमल में नहीं आ सकी, खान एवं भूतत्व विभाग[1] ने 2015 से 2019 के बालू पट्टों को, बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन रोकथाम, परिवहन और भंडारण) नियमावाली, 2019 के नियम 77 (2) के अनुसार पिछले वर्ष की राशि के बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1 बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा 2015–19 की अवधि के दौरान पट्टे के समर्पण के कारण सरकारी राजस्व की हानिः ₹18.63 करोड़

बिहार बालू खनन नीति, 2013 प्रावधित करती है कि ऐसे मामलों में जहाँ पट्टेदार बंदोबस्त अवधि के दौरान पट्टा वापस ले लेता है, नियमावली पट्टे को रद्द करने और पूर्ण बंदोबस्त राशि की वसूली के साथ–साथ सुरक्षा जमा को जब्त करने का प्रावधान करती है। इसके अलावा, यदि पहला

[1] अधिसूचना संख्या 4948 दिनांक 27.12.2019, अधिसूचना संख्या 2646 दिनांक 14.03.2020, अधिसूचना संख्या 3436 दिनांक 30.12.2020 और अधिसूचना संख्या 986 दिनांक 31.03.2021।

पट्टेदार बंदोबस्त से हट जाता है, तो समाहर्त्ता को दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले को उसी नियम और शर्तों पर बंदोबस्ती के लिए एक अवसर देना आवश्यक है जो पहली बोली लगाने वाले के लिए लागू था, जिसके बाद, बालू घाटों के बंदोबस्ती के लिए नई नीलामी शुरू करने की आवश्यकता थी। उपरोक्त नीति के तहत पट्टे के बीच में समर्पण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, भागलपुर में पाया कि 2015 से 2019 की पट्टा अवधि के पहले कैलेंडर वर्ष के लिए पात्र बोलीदाता[2] को बालू घाटों का बंदोबस्त ₹ 4.90 करोड़ पर किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की बंदोबस्ती राशि को प्रत्येक अगले लगातार वर्षों के लिए 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान था। कार्य आदेश 22 अगस्त 2015 को जारी किया गया। जारी किए गए कार्य आदेश के अनुसार पट्टेदार को खनन योजना प्रस्तुत करने और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन पट्टेदार ने 12 बालू घाटों में से केवल तीन बालू घाटों[3] के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की। आगे, पट्टेदार ने शेष नौ बालू घाटों की संशोधित खनन योजना प्रस्तुत की थी, लेकिन अंतर विभागीय समिति ने संशोधित खनन योजना के आवेदन को खारिज कर दिया (अक्टूबर 2017) और जिला समाहर्त्ता को नौ बालू घाटों के पट्टे को रद्द करने और उनकी पुनर्बन्दोबस्ती के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। तदनुसार, इसे जिला समाहर्त्ता द्वारा रद्द कर दिया गया (25 अक्टूबर 2017)। इस बीच, पट्टेदार ने बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत बालू घाटों के पट्टे को समर्पण करने का अनुरोध किया और खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संशोधित खनन योजना की स्वीकृति न होने के कारण सुरक्षा जमा राशि ₹ 1.76 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया (11 अक्टूबर 2017)। उपरोक्त अनुरोध पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टा रद्द करने के बावजूद ₹ 1.76 करोड़ की सुरक्षा जमा वापस कर दी (फरवरी 2019)।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त मामले को कार्य आदेश के साथ–साथ बिहार बालू खनन नीति, 2013 के प्रावधानों के तहत निपटाया जाना चाहिए था। चूँकि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017, दिनांक 10.10.2017 से प्रभावी हुई तथा आगे माननीय पटना उच्च न्यायालय (नवम्बर 2017) द्वारा नीति की शर्तों के साथ–साथ पट्टेदार, द्वारा अधिसूचना के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया गया, नौ बालू घाटों के निरस्तीकरण के बाद नियमानुसार सुरक्षा जमा जब्त करने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन न तो जिला समाहर्त्ता और न ही जिला खनन अधिकारी ने पट्टेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और साथ ही दूसरे सबसे अधिक बोली लगाने वाले को पट्टे की पेशकश नहीं की, जिससे राज्य के राजस्व की रक्षा करने में विफल रहें। परिणामस्वरूप, भागलपुर के बालू घाटों को 2018 और 2019 के दौरान चालू नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 18.63 करोड़[4] के राजस्व की हानि हुई और साथ ही पट्टेदार को अनुचित लाभ मिला।

इसे इंगित किए जाने पर, जिला खनन अधिकारी ने कहा कि मामला पहले ही खान एवं भूतत्व विभाग को अवगत करा दिया गया था। हालाँकि पट्टाधारक बढ़ते हानि और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन न होने के कारण बालू घाट को परिचालित करने के लिए तैयार नहीं थे। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

---

[2] मेसर्स सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड।

[3] जून 2016 में गेरूआ नदी का महीयामा घाट और चन्दन नदी का मनीकपूर घाट नाम के दो बालू घाट तथा एक फरवरी 2017 में गेरूआ नदी का बथानी घाट।

[4] **(राशि ₹ में)**

वर्ष	बन्दोबस्त राशि	भुगतान	देय राशि
2015	4,90,00,000	4,90,00,000	0
2016	5,88,00,000	5,88,00,000	0
2017	7,05,60,000	7,05,60,000	0
2018	8,46,72,000	0	8,46,72,000
2019	10,16,06,400	0	10,16,06,400
कुल	**36,46,38,400**	**17,83,60,000**	**18,62,78,400**

3.2 पट्टा की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्त राशि की गलत गणना के कारण रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों की वास्तविक राशि की नहीं/कम वसूली: ₹ 17.65 करोड

खान आयुक्त के आदेशानुसार बंदोबस्त राशि की गणना लीप वर्ष को ध्यान में रखते हुए दिनों की संख्या के आधार पर की जानी थी। विस्तार अवधि अर्थात 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के लिए बंदोबस्त राशि 2019 की बंदोबस्त राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित थी और गणना 366 दिनों पर आधारित होनी थी। इसके अलावा, खान एवं भूतत्व विभाग के आदेश के अनुसार, कोवीड अवधि के लिए 43 दिनों की रॉयल्टी से छूट दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने सात जिला खनिज कार्यालयों[5] में पाया कि बालू घाटों के पट्टों को संबंधित पट्टेदारों द्वारा विस्तारित अवधि के दौरान पिछले वर्ष अर्थात 2019 की पट्टा राशि के 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निष्पादित किया गया था, लेकिन, इन जिला खनिज कार्यालयों ने सही बंदोबस्त राशि की गणना नहीं की थी, क्योंकि लीप वर्ष का एक दिन बंदोबस्त राशि में शामिल नहीं था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला खनन कार्यालयों द्वारा बंदोबस्त राशि की गणना की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने 2020 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण 43 दिनों की राहत का प्रावधान किया था लेकिन जिला खनन अधिकारी, औरंगाबाद ने 45 दिनों की छूट दी थी। जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को ₹ 0.84 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ। जिलेवार विवरण **तालिका–4** में दिया गया है:

तालिका–4

(राशि ₹ में)

क्र0 सं0	जिला खनन कार्यालय का नाम	वर्ष	2019 के लिए बंदोबस्त राशि	नियम के अनुसार 2020 के लिए बंदोबस्त राशि (366 दिन)	43 दिनों की कटौती के बाद 2020 के लिए वास्तविक बंदोबस्त राशि	366 दिनों में से 323 के लिए जिला खनन अधिकारी द्वारा निर्धारित बंदोबस्त राशि	पट्टेदार द्वारा दिया गया राशि	रॉयल्टी का कम भुगतान	जिला खनिज फाउण्डेशन निधि का कम भुगतान (रॉयल्टी के कम भुगतान का 2 प्रतिशत)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8(5-7)	(9)
1.	रोहतास	2020	1,35,87,85,290	2,04,37,61,984	1,80,36,47,871	1,79,87,19,876	1,65,39,39,365	14,97,08,506	29,94,170
2.	औरंगाबाद		1,02,17,07,510	1,53,67,60,063	1,35,62,11,750	1,35,25,06,264	1,35,25,06,254	37,05,496	74,110
3.	बांका		45,49,06,368	68,42,29,030	60,38,41,466	60,21,91,626	60,21,91,627	16,49,839	32,997
4.	नवादा		15,88,37,760	23,89,09,398	21,08,40,808	21,02,64,925	21,02,64,930	5,75,878	11,518
5.	सारण		5,45,16,354	8,19,98,571	7,23,64,859	7,21,67,141	7,21,10,781	2,54,078	5,082
6.	गया		43,54,56,000	65,49,73,545	57,80,23,101	57,64,43,803	57,64,43,803	15,79,298	31,586
कुल								**15,74,73,095**	**31,49,463**
	जिला खनन कार्यालय का नाम	**वर्ष**	**जिला खनन अधिकारी द्वारा 2020 के लिए निर्धारित बन्दोबस्त राशि**	**नियम के अनुसार 2020 के लिए अप्रैल 2021 तक बन्दोबस्त राशि**		**जिला खनन अधिकारी द्वारा नियत बन्दोबस्त राशि 4/2021 तक**	**पट्टेदारो द्वारा भुगतान की गई राशि**	**रॉयल्टी का कम भुगतान**	**जिला खनिज फाउण्डेशन का कम भुगतान**
1.	भोजपुर	2021	2,23,08,64,794	1,09,71,46,620		1,09,41,48,960	1,09,41,48,960	29,97,660	59,953

आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला खनन अधिकारी, रोहतास विस्तारित अवधि 2020 के दौरान ₹ 179.87 करोड़ की कुल बंदोबस्त राशि के विरूद्ध ₹ 14.48 करोड़ की बंदोबस्त राशि की वसूली करने में विफल रहा। इसके अलावा, 2020 की विस्तारित अवधि के लिए बंदोबस्त राशि को भी लेखापरीक्षा द्वारा गलत पाया गया।

इस प्रकार, बंदोबस्ती राशि की गलत गणना के कारण, रॉयल्टी के रूप में ₹16.05 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई। इसके अलावा, गलत गणना के कारण जिला खनिज फाउण्डेशन निधि की राशि ₹ 0.32 करोड़ और 1.28 करोड़ का मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस आठ प्रतिशत की दर से भी कम वसूल किया गया था।

[5] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, गया, नवादा, रोहतास और सारण।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि गणना की जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग के पास प्रत्येक वर्ष के लिए जिलावार बंदोबस्त राशि की निगरानी के लिए एक तंत्र होना चाहिए।

3.3 बालू घाटों के बन्दोबस्ती के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जानाः ₹ 10.22 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019, के नियम 29 बी (4) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर किसी किश्त के भुगतान न होने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

आठ जिला खनन कार्यालयों[6] में लेखापरीक्षा ने पाया कि बालू घाटों के पट्टेदारों ने रॉयल्टी/बन्दोबस्त राशि का भुगतान 2016 से विस्तारित अवधि सितंबर 2021 तक की अवधि में एक से 225 दिनों तक की देरी के साथ किया। पट्टेदारों को विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹ 10.22 करोड़ ब्याज देय था जैसा कि **परिशिष्ट–1** में वर्णित है। यद्यपि संबंधित जिला खनन अधिकारियों को रॉयल्टी जमा करने में देरी के तथ्य के बारे में पता था, उन्होंने चूक के बाद न तो पट्टा रद्द किया और न ही विलंबित भुगतान के लिए ₹ 10.22 करोड़ का ब्याज का आरोपण किया।

इसे इंगित किए जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.4 बालू घाटों की विस्तारित अवधि के बंदोबस्त के लिए सुरक्षा जमा की वसूली न होनाः ₹ 94.97 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019, प्रावधित करता है कि बालू का प्रत्येक पट्टेदार लघु खनिज के रूप में नीलाम/निविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि को बंदोबस्त के नियमों और शर्तों के उचित पालन के लिए सुरक्षा के रूप में जमा करेगा, जमा राशि को बन्दोबस्त अवधि की समाप्ति के बाद वापस किया जाएगा या खनन अधिकारी द्वारा बंदोबस्त की अंतिम किश्त के साथ बन्दोबस्ती समायोजित की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव–सह–निदेशक ने भी मुख्यालय को सूचित करते हुए बालू घाटों के बंदोबस्त की विस्तारित अवधि के लिए पट्टेदार से सुरक्षा जमा वसूल करने का भी निर्देश (फरवरी 2020) दिया था।

आठ जिला खनन कार्यालयों[7] में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागीय अधिसूचना के अनुसार 2015–19 की पट्टा अवधि, जिसे 2019 की बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था और इन जिलों में बालू घाटों के पट्टेदारों ने अक्टूबर 2020तक अपना बंदोबस्त जारी रखा था जिसे चरणबद्ध तरीके[8] से आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया। पाँच वर्षों (2015–19) के लिए वसूली गई सुरक्षा जमा 2019 की बंदोबस्त राशि की तीसरी किश्त के विरुद्ध समायोजित की गई थी। कार्यादेशों/सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, बालू घाटों के पट्टेदारों को ₹ 94.97 करोड़ की नई सुरक्षा जमा का भुगतान करना था, जैसा कि **परिशिष्ट–2** में वर्णित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन जिला खनन अधिकारियों द्वारा सुरक्षा जमा वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (दिसंबर 2021)।

---

[6] औरंगाबाद, बांका, गया, कैमूर, नवादा, पटना, सारण और वैशाली।

[7] औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सारण और वैशाली।

[8]

पहला विस्तार	अक्टूबर 2020 तक
दूसरा विस्तार	दिसम्बर 2020 तक
तीसरा विस्तार	मार्च 2021 तक
चौथा विस्तार	सितम्बर 2021 तक
पाँचवा विस्तार	दिसम्बर 2021 तक

यद्यपि, बिहार बालू खनन नीति 2013, में अभ्यर्पण का कोई प्रावधान नहीं था, लेखापरीक्षा ने आगे पाँच जिला खनिज कार्यालयों[9] में पाया कि केवल अप्रैल 2021 तक देय बंदोबस्त राशि का भुगतान किया और पट्टेदारों ने सितंबर 2021 तक विस्तार होने के बावजूद पट्टे को अभ्यर्पण कर दिया (मई 2021)। लेखापरीक्षा ने कार्यादेश के अनुसार देय किश्त की राशि की गणना की जिसका भुगतान पट्टेदारों द्वारा नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका–5** में दिया गया है:

तालिका–5

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला का नाम	अवधि	देय बन्दोबस्त राशि
1.	पटना	01.05.2021 से 30.09.2021	80,48,58,604
2.	भोजपुर	01.05.2021 से 30.09.2021	1,39,96,11,355
3.	रोहतास	01.05.2021 से 30.09.2021	1,27,38,61,210
4.	औरंगाबाद	01.05.2021 से 30.09.2021	95,78,50,800
5.	सारण	01.05.2021 से 30.09.2021	5,14,17,138
कुल			**4,48,75,99,107**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि संबंधित जिला खनन अधिकारी राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए ₹ 448.76 करोड़ की बंदोबस्त राशि की वसूली करने में विफल रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, बल्कि अवैध खनन गतिविधियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यदि जिला खनन कार्यालय विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षा जमा वसूल करते तो इन बालू घाटों के पट्टों के अभ्यर्पण की स्थिति में कम से कम उसे जब्त कर लिया जा सकता था।

इसे इंगित किए जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: बालू घाटों की बंदोबस्त की विस्तारित अवधि के लिए सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भण्ड़ारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के अनुसार सुरक्षा जमा की वसूली की जानी चाहिए।

3.5 बंदोबस्त हुए बालू घाटों के लिए पंजीकृत विलेख का निष्पादन न करने के कारण मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस की वसूली न होना: ₹ 97.41 करोड़

बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंड़ारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 29(3) के अनुसार, पट्टा विलेख उचित मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस का भुगतान करके विधिवत पंजीकृत होना चाहिए। बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली, 1972 का नियम 11बी (2) में प्रावधित करता है कि जहाँ बन्दोबस्ती सार्वजनिक नीलामी सह निविदा द्वारा की जाती है, एक विलेख प्रपत्र 'O' या उसके निकट एक प्रपत्र के रूप में जैसा कि इस नियम में प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, बंदोबस्त के कार्य आदेश जारी होने के 60 दिनों के अन्दर निष्पादित किया जाएगा, और यदि पट्टेदार की ओर से विफलता के कारण ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तो सुरक्षा जमा और भुगतान की गई अन्य राशि को जब्त कर लिया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग ने विस्तार की अनुमति देते हुए विस्तारित अवधि के लिए अनुबंध का निबंधन भी अनिवार्य किया (दिसंबर 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो जिला खनन कार्यालयों[10] में, बालू घाटों के पट्टेदारों ने जनवरी 2017 से 2019 की अवधि के दौरान लागू मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के विरुद्ध ₹ 4.75 करोड़ मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस कम जमा की थी। इसके अलावा, उपरोक्त मुद्रांक शुल्क/निबंधन

[9] औरंगाबाद, भोजपुर पटना, रोहतास और सारण।

[10] कैमूर और रोहतास।

फीस पहले से ही सरकार द्वारा तय की गई बालू के विक्रय मूल्य में शामिल था, इसलिए, इस मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस को भी पट्टेदारों द्वारा वसूल किया जा रहा था।

उपरोक्त के अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल एक जिला खनन अधिकारी, भोजपुर ने विस्तार अवधि के दौरान विलेख को निबंधित करवाया। जबकि जिला खनन अधिकारी, पटना ने मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस की वसुली होने पर भी विलेख को निबंधित नहीं कराया। आगे, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर में विलेखों को कम बंदोबस्त राशि पर निष्पादित किया गया था जो जनवरी 2021 से मार्च 2021 के दौरान गलत तरीके से जिला खनन अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई थी और इसलिए कम मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस वसूल की गई थी। सात जिला खनन अधिकारी[11] विलेखों को निष्पादित करने में विफल रहे या विलेख कम राशि पर निष्पादित किए जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदारों से ₹ 92.66 करोड़ कम मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस एकत्र की जा रही थी। अतः ₹ 97.41 करोड़ की राशि मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में वसूल नहीं की जा सकी, जैसा कि **परिशिष्ट–3** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि पट्टाधारकों को विलेखों के निबंधन के लिए सूचना जारी की गई है और जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः खान एवं भूतत्व विभाग को समय पर राजस्व के निर्धारण और उचित वसूली के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और किसी भी चूक के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

3.6 बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के स्थान पर जमा करायी गयी बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण न होने के कारण सरकार को राजस्व की हानिः ₹ 11.10 करोड़

लेखापरीक्षा ने दो जिला खनन कार्यालयों[12] में पाया कि बालू घाटों का बंदोबस्त कैलेंडर वर्ष 2015 से 2019 के लिए किया गया था। पट्टेदारों को सरकार द्वारा निर्धारित बंदोबस्त राशि का छह प्रतिशत मुद्रांक शुल्क और दो प्रतिशत निबंधन फीस का भुगतान करना था और तदनुसार अनुबंध विलेख का निबंधन निष्पादित किया जाना था।

उपरोक्त दो मामलों में, पट्टाधारक मुद्रांक शुल्क/निबंधन फीस की राहत के लिए अदालत पहुँचे और माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अंतरिम आदेश[13] (नवंबर 2017), के अनुपालन में, इन दो जिलों के जिला उप निबंधक के कार्यालय ने सहमति व्यक्त की, कि बालू घाट के बंदोबस्त के लिए जिला खनन अधिकारी, बांका और नालंदा के साथ खनन पट्टा समझौते के निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के लिए अंतर राशि जमा करने के बदले निम्नलिखित तरीके से बैंक गारंटी स्वीकार करें।

1. पट्टा राशि का कुल देय का मुद्रांक शुल्क छः प्रतिशत और निबंधन फीस दो प्रतिशत की दर से।
2. पट्टा के निबंधन के समय देय राशि, पट्टा के अनुबंध राशि का पाँच प्रतिशत पर मुद्रांक शुल्क छः प्रतिशत तथा निबंधन फीस दो प्रतिशत की दर से।
3. जमा करने योग्य बैंक गारंटी (1 से 2 घटाये)।

तदनुसार, दोनों जिलों में बालू घाटों के पट्टेदारों ने दिनांक 31 दिसम्बर 2019 तक की वैधता के साथ 2017 से 2019 के दौरान मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस के लिए ₹ 11.10 करोड़ की बैंक गारंटी जमा की, जैसा कि **परिशिष्ट–4** में वर्णित है। इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया, (जुलाई 2019) जिसमें कहा गया था कि उपरोक्त मामलों में मुद्रांक शुल्क/ निबंधन फीस लगाया जाना था।

[11] औरंगाबाद, भोजपुर, गया, नवादा, पटना, रोहतास और वैशाली।

[12] बांका और नालन्दा।

[13] सी डब्ल्यू जे सी 7034/2016 अमन सेट्ठी बनाम बिहार सरकार।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी छः बैंक गारंटी 31.12.2019 को समाप्त हो गई थी। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने दोनों जिला निबंधन कार्यालयों से बैंक गारंटी की वैधता के बारे में भी पूछताछ की और उन्होंने जवाब दिया कि उपरोक्त बैंक गारंटी को पुनर्वैध नहीं किया गया था (दिसम्बर 2021)। आगे यह भी पाया गया कि इन जिलों के बालू घाटों के पट्टेदार द्वारा जमा किये गये सुरक्षा जमा दोनों जिलों में 2019 के लिए बंदोबस्त राशि की तीसरी किश्त के साथ भी समायोजित किया गया था। इसके अलावा, बांका जिला में विस्तारित अवधि के लिए सुरक्षा जमा भी जिला खनन अधिकारी द्वारा वसूल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, निबंधन विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण, राज्य सरकार को उपरोक्त बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण के कारण ₹ 11.10 करोड़ की राशि का नुकसान हुआ, जबकि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैंक गारंटी के खिलाफ कम से कम ₹ 11.10 करोड़ सुरक्षा जमा को समायोजित किया जा सकता था।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जिला उप निबंधक से पत्राचार किया जायेगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7 पत्थर खदानों के पट्टे का बंदोबस्त/निष्पादन न होना

बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014, अधिसूचना सं. 3085/एम दिनांक 11.08.2014 और खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक सं. 3166 दिनांक 20.08.2014 के अनुसार, पत्थर खनन के औपचारिक पट्टे के बंदोबस्त को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पाँच साल के लिए नीलाम किया जाएगा। पट्टा क्षेत्र पाँच हेक्टेयर से कम का नहीं होगा और सघन एवं समीपवर्ती ब्लॉक में स्वीकृत किया जाएगा।

यह आगे प्रावधित करता है कि पत्थर खनन का औपचारिक पट्टा जिला समाहर्त्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद निष्पादित किया जाना है और सैद्धांतिक मंजूरी से 120 दिनों के अन्दर पट्टाधारक द्वारा बंदोबस्त राशि की देय किश्त जमा करना है। पट्टे की शर्तों का पालन करने में विफलता के मामले में, पट्टे को रद्द कर दिया गया माना जाता है और आवेदन एवं सुरक्षा जमा को स्वतः ही जब्त कर लिया जाना आवश्यक है।

3.7.1 नवादा में पत्थर की खदानों का बंदोबस्त न होना

जिला खनन कार्यालय, नवादा में पत्थर खदानों (भधोखरा में ब्लॉक संख्या 10 और खाखनदुआ में ब्लॉक ए और बी) के बंदोबस्त में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई घटनाओं का कालक्रम निम्नानुसार है:

(ए) भधोखरा में ब्लॉक सं0 10

दिनांक	घटना
फरवरी 2015	मेसर्स कात्यानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 27.51 करोड़ की बंदोबस्त राशि पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।
मई 2015	खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा खनन योजना अनुमोदित।
जून 2017	राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिया गया।
जून 2018	समाहर्त्ता ने पट्टा एकरारनामा का निष्पादन न होने और बंदोबस्त राशि की पहली किश्त जमा नहीं करने का कारण स्पष्ट करने के लिए कानूनी सूचना जारी किया।
जुलाई 2018	पट्टाधारक ने नीलामी की राशि को कम करने और सम्पर्क सड़क उपलब्ध कराने के लिए समाहर्त्ता के समक्ष अपील की क्योंकि पट्टा क्षेत्र के बड़े हिस्से के अवैध निष्कर्षण के कारण संपर्क सड़क गायब हो गई थी।
सितम्बर 2019	जिला समाहर्त्ता द्वारा पट्टा रद्द कर दिया गया और सुरक्षा जमा जब्त कर ली गई।

दिनांक	घटना
सितंबर 2019	दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाने वाले मेसर्स राजनंदनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई और एजेंसी से कई बार आवश्यक दस्तावेज और बंदोबस्त राशि जमा करने के लिए कहा, लेकिन बोली लगाने वाला नहीं आया।
जनवरी 2021	समाहर्त्ता ने पट्टा निरस्त कर सुरक्षा जमा जब्त कर ली।
सितम्बर 2021	बन्दोबस्त नहीं किया गया।

इसके अलावा, जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा प्रदान किए गए भू–निर्देशांक के अनुसार गूगल अर्थ प्रो के माध्यम से उपग्रह छवियों के अध्ययन में, लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन गतिविधियों के साथ–साथ वाहनों की आवाजाही भधोखरा पत्थर खदान के ब्लॉक संख्या 10 में देखी गई थी, जबकि सितम्बर 2018 में पट्टे की अवधि का बंदोबस्त नहीं किया गया था (**चित्र 33 और 34**)।

चित्र 33: पत्थर खदान ब्लॉक संख्या 10 भधोखरा में खनन गतिविधियाँ।

चित्र 34: पत्थर खदान ब्लॉक संख्या 10 भधोखरा में खनन गतिविधियाँ।

(बी) खाखंदुआ में ब्लॉक ए और बी

तिथि	घटना
दिसंबर 2018	ब्लॉक–ए के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति उच्चतम बोली लगाने वाले राजेंद्र सिंह, 15, मदर टेरेसा, उत्तरी एस.के. पुरी, पटना के बंदोबस्त राशि ₹ 1,77,36,68,782 और ब्लॉक–बी के लिए निविदा मैसर्स पटेल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 1,58,02,84,880 के लिए दी गयी।
जनवरी 2019 और जून 2019	जिला खनन अधिकारी ने वन क्षेत्र की सीमा के सीमांकन के लिए जिला वन पदाधिकारी, नवादा से अनुरोध किया (जनवरी 2019)। जिला खनन अधिकारी ने जिला समाहर्त्ता, नवादा से भी जिला वन पदाधिकारी, नवादा को निर्देश देने का अनुरोध किया (जून 2019) क्योंकि ये ब्लॉक पास के वन क्षेत्र में स्थित थे।
जुलाई 2019	टास्क फोर्स की बैठक में जिला समाहर्त्ता ने सहायक वन संरक्षक को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक	खनन अधिकारी ने जिला वन पदाधिकारी, नवादा से उक्त पत्थर ब्लॉक के निर्देशांक के अनुसार स्टोन ब्लॉक ए और बी से वन भूमि की दूरी स्पष्ट करने का अनुरोध किया। जवाब में जिला वन पदाधिकारी, नवादा ने कहा कि खनन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जीपीएस निर्देशांक दो स्थानों पर लिए गए जीपीएस निर्देशांक से मेल नहीं खाते हैं और मौजा खाखंडुआ तीन तरफ से वन भूमि से घिरा हुआ है।
फरवरी 2021	राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के पृच्छा के अनुपालन के लिए संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन ब्लॉक बी के पट्टेदार ने ब्लॉक ए की सैद्धांतिक मंजूरी पर आपत्ति जताई।

तिथि	घटना
अगस्त 2021	जिला समाहर्त्ता ने जिला वन पदाधिकारी, नवादा को बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए भू–समन्वय के सत्यापन के संबंध में स्थल सत्यापन के बाद प्रतिवेदन जमा करने और निदेशक, खन एवं भूतत्व विभाग को विकास की कालानुक्रमिक रूप से सूचना देने के निर्देश दिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई थी (सितम्बर 2021)।

उपरोक्त बिन्दु जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता की पट्टा के निष्पादन में विलम्ब एवं वास्तविक विफलता और पत्थर खदान के बंदोबस्त हेतु जिला खनन अधिकारी के पर्याप्त प्रयासों के अभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, भौगोलिक सूचना प्रणाली उजागर करती हैं कि खनन किया गया था जिसके विरूद्ध जिला खनन कार्यालय द्वारा कोई राजस्व वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार, अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता के कारण राज्य के राजस्व की रक्षा करने में विफलता हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त ब्लॉकों में खनन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं शुरू करने के लिए नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा, पत्थर ब्लॉकों के पुनः बन्दोबस्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7.2 कैमूर में पत्थर की खदान का बंदोबस्त न होना

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, कैमूर में पाया कि पत्थर का पाँच वर्षीय पट्टा मेसर्स बीएससी–सी एंड सी–जेवी को 20.75 एकड़, (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) क्षेत्र का 2009 से 2013 के लिए प्रदान किया गया था। पिछले पट्टेदारों में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 22 के तहत पट्टे के नवीकरण का अनुरोध किया था। लेकिन, खान एवं भूतत्व विभाग ने पत्थर के पट्टे के नवीनीकरण को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और जिला समाहर्त्ता, कैमूर को पट्टा क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद उचित पारदर्शी सार्वजनिक निविदा पद्धति के साथ नया पट्टा निष्पादित करने के लिए कहा। मदुराना पत्थर खदान ब्लॉक (मौजा–मदुरना, थाना–भभुआ) में पत्थर की खदान के बंदोबस्त में घटनाओं का कालक्रम निम्नानुसार वर्णित है:

दिनांक	घटना
दिसंबर 2015	पत्थर पट्टा क्षेत्र के आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सिफारिश की कि मदुरना पत्थर खदान स्थल का पट्टा पत्थर की मिट्टी के स्थान पर पत्थर के रूप में किया जाना था और आरक्षित मूल्य ₹ 5 करोड़ निर्धारित किया गया था।
अप्रैल 2016	कैमूर, जिलाधिकारी ने पत्थर खदान की नीलामी के लिए ई–निविदा आमंत्रित की।
मई 2016	पत्थर खदान का पट्टा मेसर्स स्टारनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹ 5.15 करोड़ में तय किया गया था ।
जुलाई 2016	सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिया गया था।
जुलाई 2016	पट्टेदार ने ₹ 0.52 करोड़ की सुरक्षा जमा, जमा की।
सितम्बर 2017	खनन योजना के अनुमोदन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पट्टेदार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।
दिसंबर 2019	पट्टेदार ने जिला खनन अधिकारी, कैमूर से मदुरना पत्थर की खान के लिए वैध अभिरुचि पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव संख्या IA/BR/MIN/109225/2019 दिनांक 27.06.2019 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और प्राधिकरण ने यह कहते हुए पूछताछ की थी कि अभिरूचि पत्र 26.07.2016 को जारी किया गया था और अभिरूचि की शर्त का पालन करने के लिए 120 दिनों की समयावधि दी गई थी।
सितम्बर 2021	खनन योजना के अनुमोदन के चार वर्ष बीत जाने के बाद भी पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि खनन योजना के अनुमोदन (सितम्बर 2017) के लगभग चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी जिला खनन कार्यालय और खान एवं भूतत्व विभाग ने पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत न करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की और पट्टा निरस्त करने एवं सुरक्षा जमा जब्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। यह पट्टे के निष्पादन और पत्थर की खदान के बंदोबस्त के लिए पर्याप्त प्रयासों की कमी के मामले में जिला खनन कार्यालय की ओर से अत्यधिक विलंब और वास्तविक विफलता को इंगित करता है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई और इसके अलावा क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति की अनुपलब्धता के कारण कार्यादेश जारी नहीं किया गया था। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब की प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.7.3 शेखपुरा में पत्थर की खदानों का बंदोबस्त न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने जिला खनन पदाधिकारी, शेखपुरा को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खनन के लिए जिले में पत्थर के ब्लॉकों का सीमांकन करने के लिए निर्देश[14] जारी किया (अगस्त 2014) जिसमें निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाना था:

(1) ब्लॉक सघन और समीपवर्ती होंगे,
(2) पत्थर ब्लॉक का क्षेत्रफल पाँच हेक्टेयर से कम नहीं होगा,
(3) पत्थर ब्लॉक का पट्टा पाँच साल के लिए होगा,
(4) सार्वजनिक नीलामी के बाद, उच्चतम बोली लगाने वाले को सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।

उपरोक्त के आलोक में जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा ने सार्वजनिक नीलामी के लिए 30 पत्थर ब्लॉकों की सूची तैयार की (नवम्बर 2014)। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पता चला कि 10 पत्थर ब्लॉक (9, 11, 13, 14, 12, 19, 20, 23, 26 और 30) बिना बन्दोबस्त रहे (सितंबर 2021)। पत्थर ब्लॉक सं0 9 का जिला खनन अधिकारी के उदासीन रवैये के कारण बन्दोबस्त नहीं किया गया था जैसा कि यह विभागीय पत्र (दिसंबर 2018) से उजागर हुआ था।

इसके अलावा, निविदा के उपबंध संख्या 9 के अनुसार, जिला समिति ने सिफारिश की (जुलाई 2015) कि आस–पास के निवासियों के कारण पत्थर ब्लॉक 11,13, और 14 के 50 मीटर के भीतर खनन प्रतिबंधित है। तथापि, विभाग ने जिला समाहर्त्ता को निर्देश (जुलाई 2015) दिया कि पत्थर ब्लॉक सं0 11,13 व 14 को खनन पट्टा क्षेत्र में बस्ती से 50 मीटर की दूरी छोड़कर पांच हेक्टेयर या उससे ज्यादा को बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन विश्लेषण के दौरान अभिलेख पर कोई सर्वेक्षण/प्रतिवेदन नहीं पाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि जिला खनन अधिकारी ने विभाग के निर्देश के आलोक में कार्य नहीं किया।

आगे, पुनः समिति की अनुशंसा के अनुसार (दिसम्बर 2016) पत्थर ब्लॉक सं0 12, 19, 20, 23, 26 एवं 30 के संबंध में पत्थर ब्लॉक सं0 12,19 एवं 20 के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक स्थिति का पुनः सत्यापन आवश्यक था परन्तु विभाग द्वारा समिति के निर्देश के आलोक में ऐसा नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया था। समिति ने पत्थर ब्लॉक सं0 23 और 26 के लिये सुरक्षा राशि कम करने की सिफारिश की। आगे, समिति ने पत्थर ब्लॉक सं0 30 के संबंध में जिला स्तरीय समिति के खनन की नीलामी नहीं करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जिला खनन अधिकारी ने विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप, उपरोक्त 10 ब्लॉक में से नौ आज तक बिना बन्दोबस्त के पड़े हैं। यह पत्थर खदान के बंदोबस्त के मामले में जिला खनन अधिकारी/जिला समाहर्त्ता/विभाग की अत्यधिक विलंब और वास्तविक विफलता को दर्शाता है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई और इसके अलावा अवैध खनन गतिविधियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

[14] पत्र संख्या 3166 दिनांक 20.08.2014।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में समिति के निर्देशानुसार अनुपालन किया गया है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसाः विभाग को पत्थर खदानों के सर्वेक्षण के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे ऐसी पत्थर खदानों की समय पर बंदोबस्त में मदद मिलेगी।

3.8 पत्थर खदानों के पट्टेदारों से रायल्टी की वसूली न होना

पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टेदार को बिहार लघु खनिज समनुदान नियमवली, 1972 के प्रावधान 52 के अनुसार समान किश्तों में वार्षिक आधार पर कुल बंदोबस्त राशि का भुगतान करना आवश्यक था और पहली किश्त का भुगतान पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले किया जाना था और उसके बाद, पट्टेदार को पुनः बंदोबस्त राशि हर साल 31 जनवरी तक भुगतान करने की आवश्यकता थी। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के 52(5) के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई किश्त निर्धारित अवधि से पहले जमा नहीं की जाती है, तो दो महीने तक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा और उसके बाद, रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

3.8.1 जिला खनन कार्यालय, नवादा द्वारा पत्थर खदान के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 9.31 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, नवादा में पाया कि मौजा–भधोखरा, ब्लॉक–7 में पत्थर की खदान का बन्दोबस्त मेसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन के पक्ष में ₹ 15.51 करोड़ की बंदोबस्त राशि पर किया गया था और सैद्धांतिक स्वीकृति फरवरी 2015 में दी गई थी। खनन योजना को मई 2015 में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जून 2017 में पर्यावरण स्वीकृति दी गई थी। जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने समझौते के निष्पादन और बंदोबस्त राशि जमा करने के लिए कई बार नोटिस दिए। लेकिन पट्टेदार ने राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने से एक वर्ष व्यतीत होने के बाद जून 2018 तक ₹ 3.10 करोड़ की बंदोबस्त राशि की केवल पहली किश्त जमा की। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न तो पट्टेदार ने पट्टा अनुबंध निबंधित किया और न ही दूसरी से चौथी किश्त जमा की (सितम्बर 2021)। इसके अलावा, जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने बंदोबस्त राशि की प्राप्ति न होने पट्टा रद्द करने और उसके पुनर्बन्दोबस्ती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर इस पट्टे की छवियों के अध्ययन से पता चला है कि इस पत्थर के ब्लॉक में विभिन्न अवधियों के दौरान खनन गतिविधियों को अंजाम दिया गया है। खनन गतिविधियों की छवियाँ **चित्र 35 से 36** में दी गई हैं:

चित्र 35: मौजा–भदोखरा, ब्लॉक–7 में देखी गई खनन गतिविधियाँ (मार्च 2018)।

चित्र 36: मौजा–भदोखरा, ब्लॉक–7 में देखी गई खनन गतिविधियाँ।

इस प्रकार, अत्यधिक विलम्ब एवं विभागीय प्राधिकारियों द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के अनुसार प्रभावी उपाय या आवश्यक कार्रवाई करने में विफलता के कारण, पट्टेदार से रॉयल्टी के रूप में चौथी किश्त तक ₹ 9.31 करोड़ की राशि ब्याज के अलावा, वसूल नहीं की जा सकी (सितंबर 2021), जबकि विभिन्न अवधि के दौरान क्षेत्र में किए गए खनन पाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.2 जिला खनन कार्यालय, गया द्वारा पत्थर खदान के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 15.28 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, गया में पाया कि मौजा–गेरे ब्लॉक–1 (क्षेत्र 12.50 एकड़) की पत्थर की खदान की बंदोबस्ती[15] ₹ 37.00 करोड़ के लिए की गयी थी और सैद्धांतिक स्वीकृति फरवरी 2015[16] में दी गई थी। पट्टेदार ने जनवरी 2017 और जनवरी 2018 को तीसरी और चौथी किश्त की देय तिथि के विरुद्ध मामूली देरी के बाद मार्च 2018 तक नियमित आधार पर चौथी किश्त तक का भुगतान किया। जिला खनन अधिकारी ने तीसरी एवं चौथी किश्त के विलंबित भुगतान हेतु ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज सहित पांचवीं किश्त के विरूद्ध ₹ 7.40 करोड़ के भुगतान की माँग भेजी (दिसम्बर 2018) जिसके विरूद्ध पट्टेदार ने अंतिम किश्त की राशि के भुगतान हेतु बिना किसी जुर्माने के एक महीने के लिए समय बढ़ाने का (जनवरी 2019) और आगे 20 मार्च 2019 को अंतिम किश्त राशि के भुगतान के लिए 30 जून 2019 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

चूंकि पट्टाधारक कई माँग पत्रों के बाद भी अंतिम किश्त का भुगतान करने में विफल रहा था, जिला समाहर्त्ता, गया ने सुरक्षा जमा जब्त कर उक्त पट्टा को रद्द कर दिया (अगस्त 2019)। आगे जिला खनन अधिकारी, गया ने पट्टेदार के साथ ब्याज आदि सहित बंदोबस्त राशि की किश्त के भुगतान के लिए एक पत्राचार किया (नवंबर 2019) और अंत में एक वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद, ₹ 15.28 करोड़ के लिए एक प्रमाण पत्र वाद स्थापित किया गया (जनवरी 2021)। लेकिन आज तक राशि की वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि उक्त पट्टे को रद्द करने (अगस्त 2019) के बाद, पुनर्बन्दोबस्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। यह पाया गया कि इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया गया है (सितंबर 2021) जिससे राज्य सरकार को लगातार राजस्व की हानि हो रही है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.3 जिला खनन कार्यालय, बांका द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदार से रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 2.81 करोड़

जिला खनन कार्यालय, बांका में लेखापरीक्षा ने पाया कि पत्थर पट्टा (22 एकड़ क्षेत्र)[17] की बंदोबस्ती ₹ 3.76 करोड़ के लिए की गई थी और सैद्धांतिक स्वीकृति अगस्त 2015[18] को दी गई थी और ₹ 75.20 लाख की पहली किश्त राशि के भुगतान के बाद समझौता निष्पादित किया गया था (फरवरी 2017)। जिला खनन अधिकारी ने दूसरी किश्त के लिए ब्याज सहित ₹ 77.33 लाख के भुगतान के लिए कई माँगपत्र भेजे थे, तदनुसार पट्टेदार ने ₹ 20.00 लाख का भुगतान किया और खनन कार्यालय में हलफनामा प्रस्तुत किया (अगस्त 2018) कि शेष राशि ब्याज सहित चार किश्तों में दिसंबर 2018 तक जमा की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई[19] करते हुए दो माह तक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाने और उसके बाद स्पष्टीकरण माँग कर निरस्त करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया।

---

[15] मेसर्स आई.एल. एवं एफ.एस. इंजीनियरिंग एवं कन्सट्रक्शन क0लि0।

[16] पत्रांक संख्या 197/माइनिंग दिनांक 07.02.2015।

[17] मौजा–पहाड़ी परिक्षेत्र–शम्भूगंज, बांका, प्लॉट संख्या 163 (भाग) खाता संख्या–43 थाना संख्या–41।

[18] मेसर्स महा लक्ष्मी इंजीकॉन प्रा. लि. भाया पत्रांक संख्या 586/एम।

[19] बिहार लघु खनिज समनुदान नियम का संख्या– नियम 52(5), 21(5)/24(3)।

लेकिन इस संबंध में जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी, बांका द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जिला खनन अधिकारी ने वर्ष 2019 और 2020 के दौरान देय किश्त के भुगतान के लिए कई माँगपत्र भेजे। लेकिन न तो पट्टेदार ने देय किश्त का भुगतान किया और न ही जिला समाहर्त्ता/जिला खनन अधिकारी ने पत्थर की खदान की पुनर्बन्दोबस्ती के लिए कोई कार्रवाई की।

उपरोक्त से स्पष्ट था कि जिला खनन अधिकारी की लापरवाही के कारण पत्थर पट्टा के बंदोबस्त/करार के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी पाँचवीं किश्त तक की ₹ 2.81 करोड़[20] की बंदोबस्ती राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के अत्यधिक विलम्ब एवं विफलताओं के कारण, पत्थर ब्लॉक को पाँच वर्षों तक परिचालित नहीं किया जा सका, जिसके कारण वार्षिक किश्त की गणना के अनुसार ₹ 2.81 करोड़ की रॉयल्टी राशि की वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.8.4 जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा द्वारा पत्थर खदानों के पट्टेदारों से बंदोबस्त राशि और ब्याज की वसूली नहीं किया जानाः ₹ 1.09 करोड़

लेखापरीक्षा ने जिला खनन कार्यालय, शेखपुरा में पाया कि 2015–17 की अवधि के दौरान निविदा आमंत्रण सूचना के द्वारा 30 पत्थर खदानों की नीलामी के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी, जिसमें से 20 पत्थर खदानों का बन्दोबस्त किया गया था। सभी पट्टों की सैद्धान्तिक स्वीकृति 2015 तथा 2017 के मध्य दी गई थी। पट्टे के निष्पादन के बाद भी, पट्टेदारों द्वारा नियत समय में बन्दोबस्त राशि का भुगतान समय पर नहीं किया गया था और एक मामले में बन्दोबस्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था (सितंबर 2021)। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः पत्थर खदानों के पट्टेदारों ने एक से 175 दिनों के बीच की देरी से बंदोबस्त राशि जमा की थी। जिला खनन कार्यालय ब्याज वसूल करने में विफल रहा तथा नियमानुसार पट्टा निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार, ब्याज सहित बन्दोबस्त राशि के रूप में ₹ 1.09 करोड़[21] की राशि (जैसा कि **परिशिष्ट–5**) में वर्णित हैं, पट्टेदारों से अभी तक वसूल की जानी थी (सितम्बर 2021)।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि माँगपत्र जारी कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.9 खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत न करना

बिहार खनिज रियायत (संशोधन) नियमावली 2014 के नियम 7(झ) के अनुसार, प्रत्येक खान बंद करने की योजना दो प्रकार की होगी, अर्थात प्रगतिशील खान बंद योजना और अन्तिम खान बंद योजना। खनन पट्टा/बंदोबस्त का स्वामी, एजेंट या प्रबंधक, खनन पट्टा/बंदोबस्त के दिये जाने के मामले में, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी को खनन योजना के एक घटक के रूप में प्रगतिशील खान बंद करने की स्थिति में खनिज रियायत के बंदोबस्त की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, नियम 7(iii) के अनुसार, एक खनन पट्टा/बंदोबस्त का मालिक, एजेंट या प्रबंधक इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को खान के प्रस्तावित बंद होने से एक साल पहले अनुमोदन के लिए खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करेगा।

इसके अलावा, नियम 8 के अनुसार, खनन पट्टा/बंदोबस्त के मालिक, एजेंट या प्रबंधक को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि इस नियम में निर्दिष्ट खान बंद करने की योजना में निहित सुरक्षात्मक उपाय, जिसमें भूमि के पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्वास कार्य शामिल हैं, को इस

[20] कुल बन्दोबस्त राशि ₹ 3.76 करोड़ – पट्टेदार द्वारा भुगतान की गयी राशि ₹ 95.20 लाख।

[21] किश्तः ₹ 1,01,50,905 और ब्याजः ₹ 7,71,760।

संबंध में इस नियम के तहत अनुमोदित खान बंद करने की योजना के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन के साथ पूरा किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की विशिष्ट शर्त संख्या 17 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित समग्र निधि के साथ एक खान बंद करने की अंतिम योजना अनुमोदन के लिए खान अंतिम रूप से बंद होने से पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, बिहार और संबंधित जिला खनन कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।

13 जिला खनन कार्यालयों[22] में राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/ जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जारी खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015 से 2019 के दौरान बालू खनन के लिए संबंधित पट्टेदारों द्वारा एक प्रगतिशील खान बंद योजना तैयार की गई थी और तदनुसार इसे खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। खनन योजना के अनुसार, खनन की गई भूमि के पुनरूद्धार एवं पुनर्वास के विभिन्न प्रस्तावों का विवरण संबंधित जिला खनन कार्यालयों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन, प्रगतिशील खान बंद योजना के मानदंडों के कार्यान्वयन के संबंध में अभिलेखों में कोई दस्तावेज नहीं पाया गया क्योंकि बंदोबस्त के वर्ष 2019 के अंत से लगभग 21 महीने बीत जाने के बाद भी सभी बालू घाटों की खान बंद करने की अंतिम योजना संबंधित पट्टेदारों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस संबंध में न तो कोई पत्राचार किया गया और न ही पट्टेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के उपरोक्त नियम और शर्त्त के प्रावधान के अनुसार, भूमि पुनर्स्थापन/पुनरूद्धार/पुनर्वास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। इसने प्रावधान/अधिनियम के इच्छित उद्देश्य को विफल कर दिया।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि खान बन्द करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करने के लिए पट्टेदार के साथ पत्राचार किया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला को विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

चूना–पत्थर

चूना–पत्थर बिहार के रोहतास जिले में उपलब्ध एकमात्र वृहत खनिज है। 1 अप्रैल 2020 तक चूना–पत्थर का कुल अनुमानित भंडार 1,18,09,870.00 मीट्रिक टन था, जिसमें से 9,99,870.30 मीट्रिक टन चूना–पत्थर 2020–21 के दौरान निकाला गया था। 31 मार्च 2021 को चूना–पत्थर का शेष भंडार 1,08,09,999.70 मीट्रिक टन था।

मुरली पहाड़ी (रोहतास) में चूना–पत्थर का खनन पट्टा क्षेत्र 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे के तहत प्रदान किया गया था। पट्टेदार ने खनिज रियायत नियमावली 1960 के नियम 24 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन दायर किया (दिसम्बर 2010)। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अप्रैल 2017) के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र को और 20 वर्षों की अवधि के लिए 1 जनवरी 2032 तक नवीनीकृत किया गया।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 24 के तहत खनन विभाग के अधिकारी खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं।

3.10 खनन योजना के विरूद्ध चूना–पत्थर का कम निष्कर्षण

मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खदान की प्रगतिशील खान बंद योजना के अनुसार, चूना–पत्थर का लक्षित उत्पादन प्रति वर्ष 10,00,000 टन या औसतन 3,333 टन प्रतिदिन था, किसी भी दिन का उच्चतम उत्पादन 3,500 टन थी, प्रारंभिक शेष और अवशिष्ट की कुल हैंडलिंग 32,40,000 टन/प्रति वर्ष या 11,000 टन प्रतिदिन था। इसलिए, कुल हैंडलिंग 14,500 टन प्रतिदिन थी और

[22] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, सीवान और वैशाली।

प्रस्तावित कार्य दिवस प्रति वर्ष 300 दिन थे। इसके अलावा, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में दिखाए गए वास्तविक निष्कर्षण के आधार पर रॉयल्टी की वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 36 महीनों (अगस्त 2018 से जुलाई 2021) के दौरान मासिक प्रतिवेदन में चूना–पत्थर का निष्कर्षण 20,64,591.15 टन दिखाया गया था और रॉयल्टी का भुगतान ₹ 16,51,67,292 (20,64,591.15 टन, ₹ 80 प्रति टन की दर से) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने सीमेंट संयंत्रों/भंडारण क्षेत्रों में प्रेषण से पहले पट्टेदारों द्वारा निकाले गए खनिजों की मात्रा की जाँच करने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। पट्टेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि के आधार पर ही निकाली गई मात्रा पर विचार किया जा रहा था। पट्टेदार द्वारा मासिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदित निकाले गए चूना–पत्थर की मात्रा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि खान एवं भूतत्व विभाग ने अप्रैल 2017 से जुलाई 2021 तक खनन संचालन के पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया था क्योंकि पट्टा क्षेत्र के निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों/प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार, किसी निगरानी तंत्र के अभाव में, खान एवं भूतत्व विभाग आवंटित क्षेत्र में खनिज के निष्कर्षण की शुद्धता और पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी को सत्यापित नहीं कर सका। इसे लेखापरीक्षा के दौरान भी सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि कोई समर्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा, गूगल अर्थ प्रो पर उपग्रह छवियों का खनन योजना में दिए गए मुरली पहाड़ी (क्षेत्र 53.378 हेक्टेयर) के भू–निर्देशांक से संबंधित अध्ययन से पता चलता है कि खनन गतिविधियाँ वर्ष 2009 से 2013 के दौरान बाहरी क्षेत्र (4.11 हेक्टेयर) में की गई थीं और 2018 से 2019 में आवंटित क्षेत्र की रद्दी/अतिभारित सामग्री द्वारा क्षेत्र को भरा गया। यह ऐतिहासिक उपग्रह छवियों द्वारा समर्थित है जैसा कि **चित्र 37 से 42** में दिया गया है:

चूना–पत्थर – मुरली पहाड़ी (रोहतास)

चित्र 37: पट्टा क्षेत्र पीले रंग के सीमा में दिखाया गया एवं बाहरी क्षेत्र को नारंगी रंग के सीमा में दिखाया गया है (जून 2009)।

चित्र 38: पट्टा क्षेत्र के बाहर निष्कर्षण पाया गया (अप्रैल 2013)।

चित्र 39: कुछ बाहरी खुदाई क्षेत्र भर दिया गया है, छवि में देखा जा सकता है (अक्टूबर 2018)।

चित्र 40: पट्टा क्षेत्र के आसपास खुदाई क्षेत्र को भरा देखा गया (अप्रैल 2017)।

चित्र 41: बाहरी उत्खनन क्षेत्र पूरी तरह से अधिभार सामग्री का उपयोग करके भरा गया है (मार्च 2019)।

चित्र 42: खुदाई की गई भूमि पूरी तरह से भर चुकी है। अवैध उत्खनन का कोई निशान देखा नहीं जा सकता है (नवंबर 2020)।

चूंकि 36 महीनों की अवधि के दौरान अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनिज के निष्कर्षण की औसत क्षमता 29.99 लाख टन थी, जिसके विरुद्ध पट्टेदार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कम खनिज (31 प्रतिशत) का खनन दिखाया था। यदि खनन योजना में उल्लिखित उनकी क्षमता के अनुसार खनन किया गया होता, तो विभाग को 36 महीने की अवधि के दौरान ₹ 23.99 करोड़ (29.99 लाख टन, ₹ 80 प्रति टन की दर से) की रॉयल्टी प्राप्त होती। अतः विभाग ₹ 7.48 करोड़ (₹ 23.99 करोड़ – ₹ 16.51 करोड़) की रॉयल्टी से वंचित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि सूचना जारी की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

अनुशंसा: विभाग को प्रेषण से पूर्व निकाले गए खनिजों की मात्रा के सत्यापन के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए और खनन कार्यालय द्वारा चूना–पत्थर पट्टा क्षेत्र का पर्याप्त निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग को एक भू–स्थानिक अध्ययन भी करना चाहिए ताकि वर्षों से हुए चूना–पत्थर के वास्तविक निष्कर्षण का पता लगाया जा सके।

3.11 रद्दी/अतिभारित सामग्री की नीलामी न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खनन पट्टा, जो बंजारी में अपने संयंत्र में सीमेंट उत्पादन के लिए चूना–पत्थर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचालित है, में "अतिभारित/रद्दी" सामग्री का उच्च अनुपात है जिसका उपयोग सीमेंट उत्पादन में नहीं किया जा सकता है। मुरली पहाड़ी पट्टे में चूना–पत्थर से अतिभारित/रद्दी का अनुपात सामान्यतः 4:1 है और इसलिए ऐसे "अतिभारित/रद्दी" की मात्रा बहुत अधिक थी। चूँकि इस सामग्री का सीमेंट उत्पादन में कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं था, इसका उपयोग सड़क निर्माण परियोजना और अन्य निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, खनन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, चूना–पत्थर क्षेत्र में भारी मात्रा में 16,83,650 घन मीटर रद्दी उपलब्ध थी। अतिभारित/रद्दी सामग्री की नीलामी हेतु पट्टेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था (जनवरी 2019), परन्तु इस संबंध में अभी तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। यदि खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अतिभारित/रद्दी सामग्री की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया की गई होती तो खान एवं भूतत्व विभाग को रॉयल्टी के रूप में पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.12 चूना–पत्थर क्षेत्र में वृक्षारोपण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रभाव आकलन प्रमंडल, नई दिल्ली द्वारा के मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड की मुरली पहाड़ी चूना–पत्थर खदान के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति की सामान्य शर्तों (VII) के अनुसार, 7.5 मीटर चौड़ी हरित पट्टी में स्थानीय जिला वन पदाधिकारी/कृषि विभाग के परामर्श से देशी प्रजातियों का रोपण करके खनन पट्टा, बैकफिल्ड एवं पुनः प्राप्त क्षेत्र, जल निकाय के आसपास, सड़कों के आसपास सुरक्षा आदि क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। पेड़ों का घनत्व लगभग 2,500 पौधे प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। हरित पट्टी को खान पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा और पहले पाँच वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूना–पत्थर का क्षेत्रफल 53.378 हेक्टेयर में था, इसलिए पट्टा क्षेत्र में 1,33,445 पौधे लगाए जाने थे। जिला वन पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार पट्टेदार द्वारा केवल 5,000 पौधें उगाए गए थे। अतः चूना–पत्थर के खनन क्षेत्र में नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उल्लिखित प्रतिवेदन/रिटर्नों और दिशानिर्देश/निर्देश का अनुपालन, संबंधित अभिलेखों में नहीं पाए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13 ईंट भट्टों का संचालन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 24 जून 2013 के कार्यालय ज्ञापन में ईंट मिट्टी के खनन को बी–2 श्रेणी[23] में वर्गीकृत किया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 4 के अनुसार, "कोई भी व्यक्ति वैध परमिट के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं करेगा"। नियम 28(1) में कहा गया है कि उत्खनन परमिट के लिए आवेदन प्रपत्र–I में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, जो कोई भी लघु खनिजों को निकालते या हटाते पाया जाता है, उसे लघु खनिज का अवैध निष्कासन कर्त्ता माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना[24] 2006 की अनुसूची के अनुसार, ईंटों के निर्माण के लिए ईंट मिट्टी खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए और आवश्यक है। प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) की धारा 21 के अधीन खनन परियोजना के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करनी होती है।

खनन विभाग की अधिसूचना (जनवरी 2012) और बिहार खनिज (रियायत, अवैध, खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2019 के नियम 38(4) के साथ पठित बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (ए) के अनुसार, प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक को एक परमिट प्राप्त करना होगा और उसे रॉयल्टी की समेकित राशि[25] का निर्धारित दरों पर भुगतान करना है। यदि ईंट भट्ठा मालिक इस प्रकार निर्धारित तरीके से रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

---

[23] पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र तक ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी की खुदाई की गतिविधियों को संभावित प्रभावों की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों के आधार पर बी–2 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है।

[24] कार्यालय ज्ञापन सं0.जे-11013/56/2004-1ए. II (I) दिनांक 14.09.2006।

[25] सितम्बर 2019 से पहले श्रेणी–I के लिए ₹ 1,32,500, श्रेणी–II के लिए ₹ 1,03,500 एवं श्रेणी–III के लिए ₹ 74,500 और इसके बाद श्रेणी–I के लिए ₹ 2,02,500, श्रेणी–II के लिए ₹ 1,57,500 एवं श्रेणी–III के लिए ₹ 1,12,500।

3.13.1 बिना वैध परमिट और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ईंट मिट्टी का अवैध निष्कासन

वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिए 13 जिला खनन कार्यालयों[26] में लेखापरीक्षा ने पाया कि 10,269 ईंट भट्टों में से 9,490 (92 प्रतिशत) बिना वैध परमिट और पर्यावरण स्वीकृति के संचालित थे। केवल 779 (आठ प्रतिशत) ईंट भट्टों को वैध परमिट और पर्यावरण स्वीकृति के साथ संचालित किया जा रहा था। आगे यह पाया गया कि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण/जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत किए बिना कुल 4,121 (40 प्रतिशत) ईंट भट्टों का संचालन किया गया था और 5,424 (53 प्रतिशत) ईंट भट्टों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति/ संचालन की सहमति प्रस्तुत किए बिना संचालित किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट–6** में ब्यौरे के रूप में दिया गया है। इसके अलावा, जिला खनन कार्यालय, गया ने 1,806 ईंट भट्टों के स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति एवं पर्यावरणीय स्वकृति से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, इसलिए लेखापरीक्षा उसका विश्लेषण नहीं कर सका।

पर्यावरण स्वीकृति और स्थापित करने की सहमति/संचालन की सहमति के बिना ईंट मिट्टी की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती थी। तथापि, जिला खनन कार्यालयों ने नियमानुसार ईंट भट्टों के अवैध संचालन को रोकने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारी ने कहा कि जिन ईंट भट्टों के मालिकों ने संचालन की सहमति प्राप्त नहीं की थी, उन्हें नोटिस जारी किया गया था और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्राचार किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13.2 ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी एवं अर्थदंड की नहीं/कम वसूली किया जाना: ₹ 61.08 करोड़

लेखापरीक्षा ने 14 नमूना जिलो में पाया कि 11,233 ईट भट्ठे बिना उचित परमिट के साथ ही साथ बिना रॉयल्टी भुगतान किये संचालित हो रहे थे। जैसा कि **तालिका–5** में दिखाया गया है :

तालिका–5
ईंट भट्टों के संचालन का विवरण

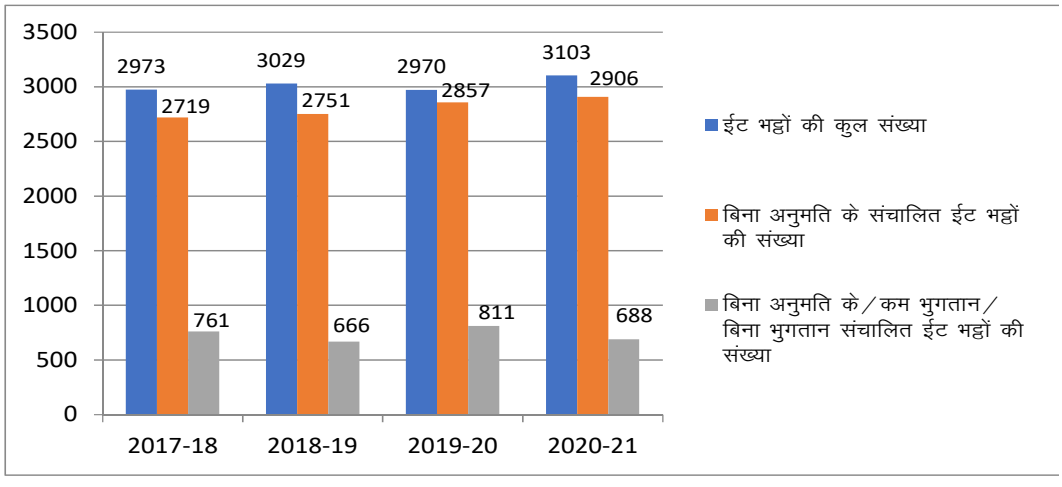

(स्रोत: नमूना चयनित जिला खनन अधिकारियों द्वारा दिया गया विवरणी)

लेखापरीक्षा ने खनन ईंट भट्टों के निरीक्षण प्रतिवेदों से पाया कि परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी भी बिना परमिट के ईंट भट्टों के संचालन से रॉयल्टी वसूल कर रहे थे। तथापि, न

[26] औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, सीवान, शेखपुरा और वैशाली।

तो उन्होंने क्रिया कलापों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई शुरू किया और न ही **परिशिष्ट–7** में दिये विवरण के अनुसार वैध परमिट के बिना ईंट भट्टों के संचालन के लिए देय रॉयल्टी, आवेदन शुल्क और अर्थदण्ड ₹ 61.08 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास किया। जिला खनन कार्यालयों की, ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप न केवल 2,926 अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों से रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड ₹ 61.08 करोड़[27] की वसूली नहीं हुई बल्कि अवैध ईंट भट्टों के मालिकों के साथ उनकी मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने कहा कि जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

3.13.3 ईंट भट्ठा मालिकों से व्यावसायिक कर की वसूली न होना: ₹ 2.07 करोड़

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नमूना जिला खनन कार्यालयों में 2017–18 से 2020–21 के दौरान कुल 12,075 में से 8,277 (69 प्रतिशत) ने व्यावसायिक कर जमा नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का व्यावसायिक कर का वसूली नहीं हो पाया जैसा कि विवरणी **तालिका–6** में दिया गया है।

तालिका–6
व्यावसायिक कर की वसूली न होना

(राशि ₹ में)

ईंट का मौसम	ईंट भट्ठों की संख्या	जारी किए गए परमिटों की संख्या	ईंट भट्ठों की संख्या जिसने व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं किया	भुगतान किया गया व्यावसायिक कर	देय व्यावसायिक कर (₹ 2,500 की दर से)
2017-18	2,973	254	2,381	0	59,52,500
2018-19	3,029	278	2,325	0	58,12,500
2019-20	2,970	113	1,916	0	47,90,000
2020-21	3,103	197	1,655	0	41,37,500
कुल	**12,075**	**842**	**8,277**	**0**	**2,06,92,500**

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनन अधिकारियों ने बताया कि ईंट भट्ठा मालिकों को व्यावसायिक कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022), उनका जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

[27] रॉयल्टी ₹ 44,43,69,855; शास्तिः ₹ 16,64,51,150।